रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 26, 1985 (माघ 6, 1906)

No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 26, 1985 (MAGHA 6, 1906)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	91
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	75
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	97
भाग II—खंड I—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	197
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	263
भाग II—खंड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों पर जारी की गई अधिसूचनाएं	2633
भाग III—खंड 2—पैटेण्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	121
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	—
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	67
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	13
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGES
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	91
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	75
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	97
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	197
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	263
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) on General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	1
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	9
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2633
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta	121
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ..	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ..	67
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	13
PART V—Supplment showing statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Police Noti. not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 1985

संकल्प

सं० ई०-11015(5)/84-हिन्दी ( )—इस्पात और खान मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति को, जिसका गठन इस्पात विभाग के दिनांक 9 अप्रैल, 1981 के संकल्प संख्या ई०-11015(2)/80-हिन्दी द्वारा किया गया था और जिसका कार्यकाल दिनांक 15-9-1984 के संकल्प संख्या ई०-11015(5)/84-हिन्दी द्वारा 31-12-1984 तक बढ़ाया गया था, भंग करने का फैसला किया गया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

अर्जुन कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 1985

आदेश

सं० 14(11)/84-कागज—केन्द्रीय सरकार, कागज (उत्पादन का विनियमन) आदेश, 1978 के खंड 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एन० पी० पी० सी०) तुली, नागालैंड को, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त कम्पनी को भारी वित्तीय हानि हुई है, 1 अप्रैल, 1984 को प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उक्त आदेश के खंड 3 की अपेक्षाओं से छूट देती है ।

जी० सुन्दरम्, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 दिसम्बर 1984

सं० बी० 11014/3/83-एन० एम० (सी० एम० ओ०)—गर्भ निरोधकों की खोजना बनाने, उनका सवर्धन और सामाजिक विपणन करने के लिए सोसाइटी पंजीयन अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत 29 सितम्बर, 1984 को "गर्भ निरोधक विपणन संगठन" नामक सोसाइटी पंजीकृत की गई । इस सोसाइटी का पंजीकृत कार्यालय निर्माण भवन, नई दिल्ली 110011 होगा । इस सोसाइटी के कार्यों का संचालन करने के लिए भारत सरकार ने एक शासी बोर्ड का गठन करने का निर्णय किया है । इस सोसाइटी में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	अध्यक्ष
2	सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	उपाध्यक्ष
3	अपर सचिव एवं आयुक्त (प० क०) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
4	संयुक्त सचिव (वित्त सलाहकार) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
5	महानिदेशक, आकाशवाणी, नई दिल्ली	सदस्य
6	महानिदेशक, दूरदर्शन, नई दिल्ली	सदस्य
7	डा० एन० भास्कर राव, आपरेशन रिसर्च ग्रुप	सदस्य
8.	श्री एम० कृष्णकुमार, भूतपूर्व अध्यक्ष, एच० एल० एल०	सदस्य
7.	श्री विक्रमजीत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य-सचिव

2. यह बोर्ड सोसाइटी का सर्वोच्च निकाय होगा । यह निरोध विपणन परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा तथा परियोजना के कार्यान्वयन में सोसाइटी को दिशा निर्देश भी प्रदान करेगा ।

3. इस बोर्ड के सदस्य सामान्यतया अपने पदों पर दो वर्षों की अवधि तक बने रहेंगे ।

4. शासी बोर्ड आवश्यकतानुसार समय-समय पर अपनी बैठकें करेगा ।

5. बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए अधिकारियों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते पर होने वाला खर्च उसी स्रोत से वहन किया जाएगा जिस स्रोत से वे वेतन लेते हैं । सोसाइटी की बैठक में भाग लेने वाले गैर-सरकारी सदस्यों का यात्रा तथा दैनिक भत्ता सोसाइटी द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार देय होगा ।

6. इस संबंध में होने वाला व्यय भारत सरकार से सोसाइटी को प्राप्त होने वाले सहायता-अनुदान में से वहन किया जाएगा ।

एस० के० सुधाकर, संयुक्त सचिव

सिंचाई मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर 1984

संकल्प

सं० 47(7)/82-बा० नि० (खण्ड-दो)—इस मंत्रालय के 12 जून, 1984 के समसंख्यक संकल्प के अनुक्रम में, गंगा नदी से अधिशेष बाढ़ जल को यमुना नदी में व्यपवर्तित किए जाने की संभावनाओं की जांच करने वाली विशेषज्ञता समिति की अवधि एतद्द्वारा 30 नवम्बर, 1984 से 31 मई, 1985 तक बढ़ाई जाती है ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सम्बन्धित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, प्रधान मंत्री का सचिवालय, राष्ट्रपति के निजी एवं सैनिक सचिव, भारत के नियंत्रक तथा महालेखाकार, योजना आयोग तथा जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, निर्माण तथा आवास मंत्रालय को सूचनार्थ भेज दिया जाए।

यह आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए तथा राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया जाए कि इसे आम सूचना के लिए राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

मा० आ० चितले, संयुक्त सचिव

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 जनवरी 1985

संकल्प

सं०–9(23)/82–पुन० III(डेस्क)—इसके द्वारा पुनर्वास भूमि उद्धार संगठन के फालतू सामान की विशेष निपटान समिति के कार्यकाल को 30–6–1985 तक और बढ़ाया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति निम्न को भेज दी जाए :—

1. सचिव, मंत्रिमंडल कार्य विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
2. सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) नई दिल्ली।
3. सचिव, रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग), नई दिल्ली।
4. सचिव, पूर्ति विभाग, नई दिल्ली।
5. महा निदेशक, पूर्ति तथा निपटान, नई दिल्ली।
6. निदेशक, लेखा-परीक्षा, वाणिज्य, निर्माण व विविध, नई दिल्ली।
7. उपनिदेशक, लेखा-परीक्षा, वाणिज्य, निर्माण व विविध, 16–ए, ब्राबोर्न रोड, कलकत्ता–700001।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एम० के० बसु, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STEEL MINE AND COAL

(DEPARTMENT OF STEEL)

New Delhi, the 3rd January 1985

RESOLUTION

No. E. 11015(5)/84-Hindi (.).—It has been decided to dissolve the Hindi Salahkar Samiti for the Ministry of Steel and Mines which was set up vide Department of Steel's Resolution No. E. 11015(2)/80-Hindi dated the 9th April, 1981 and extended upto 31-12-1984 vide Resolution No. E. 11015(5)/84-Hindi dated the 15th June, 1984.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. K. AGARWAL, Jt. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 3rd January 1985

ORDER

No. 14(11)/84-Paper.—In exercise of the powers conferred by clause 9 of the Paper (Regulation of Production) Order, 1978, the Central Government hereby exempts for the period commencing on the 1st April, 1984 and ending on the 31st March, 1985 M/s. Nagaland Pulp and Paper Company Limited (NPPC), Tuli, Nagaland, from the requirements of clause 3 of the said Order having regard to the fact that the said Company have suffered heavy financial losses.

G. SUNDARAM, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 19th December 1984

No. V. 11014/3/83-NM(CMO).—For Planning, Promotion and Social Marketing of Contraceptives, a society under the name of 'Contraceptive Marketing Organisation' with registered office at Nirman Bhavan, New Delhi-1100011, was registered under the Societies Registration Act, 1860, on 29th September, 1984. For manning the affairs of the Society, the Government of India has decided to constitute the Governing Board of the Society with the following members :—

Chairman

1. Minister of Health and Family Welfare.

Vice-Chairman

2. Secretary, Ministry of Health and Family Welfare.

Members

3. Additional Secretary and Commissioner (Family Welfare), Ministry of Health and F.W.
4. Joint Secretary (Financial Adviser), Ministry of Health and Family Welfare.
5. Director General, All India Radio, New Delhi.
6. Director General, Doordarshan, New Delhi.
7. Dr. N. Bhaskar Rao, Operations Research Group.
8. Shri S. Krishankumar, Ex-Chairman, H.L.L.

Member-Secretary

9. Shri Vikramajit, Chief Executive Officer.

2. The Board will be the apex body of the Society and will review the implementation of the Contraceptive Marketing Project and will guide the Society in the implementation of the Project.

3. The members of the Board shall normally hold office for a period of two years.

4. The Governing Board will hold its meetings as often as are necessary.

5. The expenditure on T.A. and D.A. of the official for attending the meeting of the Board shall be met from the sources from which their salary is drawn. The T.A. and D.A. of non-official members for attending the meeting of the Society will be regulated in accordance with the rules of the Society in this regards.

6. The expenditure involved will be met from the grants-in-aid received by the Society from the Government of India.

S. K. SUDHAKAR, Jt. Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION

New Delhi, the 15th December 1984

RESOLUTION

No. 47(7)/82-FC(Vol. II).—In continuation of this Ministry's Resolution of even number dated 12th June, 1984, the term of the Expert Committee to examine the possibility of the diversion of surplus flood water from the river Ganga to the river Yamuna is hereby extended from 30th November, 1984 to 31st May, 1985.

ORDER

ORDERED that this resolution be communicated to the concerned States/Union Territories, Prime Minister's Secretariat, the Private and Military Secretary to the President, Comptroller and Auditor General of India, Planning Commission and the Ministries of Shipping & Transport, Defence, Education, Finance (Deptt. of Expenditure), Home Affairs, Railways, Works and Housing for information.

ORDERED that the resolution be published in the Gazette of India and the State Governments may be requested to publish in the State Gazette for general information.

M. A. CHITALE, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(DEPARTMENT OF REHABILITATION)

New Delhi, the 29th December 1984

RESOLUTION

No. 9(23)/82-RH.III(Desk).—The life of the Special Surplus RRO Disposal Committee is hereby further extended upto 30-6-1985.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to :—

1. Secretary, Department of Cabinet Affairs, Cabinet Secretariat, New Delhi.
2. Secretary, Ministry of Finance (Department of Expenditure), New Delhi.
3. Secretary, Ministry of Defence (Department of Defence), New Delhi.
4. Secretary, Department of Supply, New Delhi.
5. Director General of Supplies & Disposals, New Delhi.
6. Director of Audit, Commerce, Works & Misc., New Delhi.
7. The Deputy Director of Audit, Commerce, Works and Miscellaneous, Calcutta Branch, 16-A, Brabourne Road, Calcutta-700001.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. K. BASU, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1985